

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

आवास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 27 जुलाई, 2017

विषय:- उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत स्वीकृत 39 अस्थायी पदों की निरन्तरता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 318 /उडा-2/2014 दिनांक 12 जुलाई, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत शासनादेश संख्या: 1945/V-2/53(आ0)/14/2015 दिनांक 26 नवम्बर, 2015 द्वारा स्वीकृत 39 अस्थायी पदों की निरन्तरता शासनादेश दिनांक 26 नवम्बर, 2015 में निहित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन दिनांक 01-03-2017 से 28-02-2018 तक बढ़ाये जाने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या: ¹⁰²² (1)/V-2-2017-53(आ0)14 / 2014 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
- 2- आयुक्त, गढवाल/कुमायूँ, उत्तराखण्ड।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4- उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी।
- 5- सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
- 6- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7- वारंश्ट नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 8- एन0आई0सी0/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।

557
28/7/17